



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर, 2017-आश्विन 14, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2017

क्र. 2275.—मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राज्य बोर्ड की 144वीं बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2017 में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशालाओं किये जाने वाले विश्लेषणात्मक पैरामीटरों के लिये अधिसूचना जारी होने के दिनांक से निम्नानुसार शुल्क/प्रभार निर्धारित किया जाता है:—

क्र.	पैरामीटर्स	विश्लेषण शुल्क (रु.)
1.	बॉम्ब कैलोरीमीटर द्वारा कैलोरीफिक वेल्यू का आंकलन	1000.00 प्रति नमूना
2.	एलीमेंटल एनालाइजर द्वारा कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन का प्रतिशतता एवं कार्बन/नाइट्रोजन रेशों का विश्लेषण.	4000.00 प्रति नमूना
3.	ऑयन क्रोमेटोग्राफ द्वारा केटॉयन एवं एनॉयन का विश्लेषण	1500.00 प्रति प्रचालक
4.	बी.टी. एक्स एनालाइजर द्वारा बी.टी. एक्स का विश्लेषण	2000.00 प्रति नमूना
5.	माइश्चर प्रतिशत	500.00 प्रति नमूना
6.	ऐश कंटेंट	1000.00 प्रति नमूना
7.	टोस नमूनों में वोलेटाईल मैटर	500.00 प्रति नमूना
8.	ट्रायहैलोमीथेन	1500.00 प्रति प्रचालक
9.	पर्टिकुलेट मेटर पी.एम. 1.0 (सैम्पलिंग एवं विश्लेषण)	12000.00 प्रति नमूना
10.	वोलेटाईल आर्गेनिक कम्पाउण्ड	1500.00 प्रति प्रचालक
11.	क्लोरोफिल एस्टीमेशन	1000.00 प्रति नमूना
12.	फाइटोप्लेक्टॉन आइडेन्टिफिकेशन	1000.00 प्रति नमूना
13.	जूप्लेक्टॉन आइडेन्टिफिकेशन	1000.00 प्रति नमूना
14.	आई.सी.पी./एम.एस. द्वारा धातुओं का विश्लेषण	2000.00 प्रति प्रचालक
15.	आर्गेनिक विश्लेषण के लिये विशालन शुल्क	2000.00 प्रति नमूना

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से
तथा आदेशानुसार,
ए. ए. मिश्रा,
सदस्य सचिव.

नाम परिवर्तन

मैं, शादी के पूर्व कुमारी रिटा पिता श्री चन्द्रलाल वाधवानी के नाम से जानी व पहचानी जाती थी. मेरी शादी पश्चात् मेरा वर्तमान नाम श्रीमती युक्ता तलरेजा पति श्री मनोज कुमार तलरेजा के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ एवं मुझे सभी जगह श्रीमती युक्ता तलरेजा पति श्री मनोज कुमार तलरेजा के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(रिटा वाधवानी)

पिता श्री चन्द्रलाल वाधवानी.

(423-बी.)

नया नाम :

(युक्ता तलरेजा)

पति श्री मनोज कुमार तलरेजा,

पता- 177, सच्चिदानंद नगर,

इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार रामू बंसल पुत्र श्री शिवचरणलाल बंसल जन्म दिनांक 1-10-1990, निवासी-वार्ड नं. 18, राधा कृष्ण धर्मशाला के पीछे, पाली रोड, सालापुर, श्योपुर, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश है, जो कि वर्तमान में उपरोक्त नाम से ही सभी शैक्षणिक, शासकीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेनकार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, राशन कार्ड एवं शैक्षणिक अंकसूचियों में अंकित है. चूँकि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मेरा पक्षकार रामू बंसल अपना नाम परिवर्तन कर आशू बंसल (Ashu Bansal) कर रहा है.

अतः भविष्य में मेरे पक्षकार को उसके सही नाम आशू बंसल (Ashu Bansal) श्री शिवचरणलाल बंसल के नाम से ही जाना व पहचाना जावे एवं समस्त शैक्षणिक, शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में भी मान्य किया जावे. अतः सर्व-साधारण सूचित हो.

द्वारा—अभिभाषक- विजेन्द्र सिंह तोमर, (एडवोकेट)

कार्या.-58, अलीजाबाग कॉलोनी, शिन्दे की छावनी,

लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

(424-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को शपथपूर्वक सूचित करता हूँ कि मैं, आशुतोष सिंह पुत्र श्री चन्द्रभूषण सिंह व उम्र 20 वर्ष, जन्मतिथि 20 अप्रैल, 1997, निवासी म.नं. 14, बी.एल. 169 के सामने, दीन दयाल नगर, ग्वालियर हूँ. मेरी 10वीं की अंकसूची में लिपिकीय त्रुटिवश मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह गलत अंकित हो गया है. जबकि मेरा वास्तविक सही नाम आशुतोष सिंह है जो कि मेरे अन्य सभी दस्तावेजों जैसे पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य मार्कशीट में अंकित है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आशुतोष सिंह पुत्र श्री चन्द्रभूषण सिंह के नाम से ही जाना, पहचाना जावे और अन्य सभी दस्तावेजों में मान्य किया जाये.

पुराना नाम :

(आशुतोष कुमार सिंह)

(425-बी.)

नया नाम :

(आशुतोष सिंह)

म.नं. 14, बी.एल. 169 के सामने,

दीन दयाल नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, सूचनाकर्ता का सही नाम रवि शिवहरे पुत्र श्री लखन लाल शिवहरे, आयु 39 वर्ष, निवासी ओमप्लाजा, गुप्ता कोल डिपो के पास, लक्ष्मीगंज रोड, लशकर, ग्वालियर. मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम रविन्द्र शिवहरे दर्ज है. जबकि आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड में मेरा रवि शिवहरे पुत्र श्री लखन लाल शिवहरे अंकित है तथा मैं, इसी नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जाता है. मेरा वास्तविक नाम रवि शिवहरे पुत्र श्री लखन लाल शिवहरे है. भविष्य में भी इसी नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा. सूचित हो.

पुराना नाम :

(रविन्द्र शिवहरे)

(426-बी.)

नया नाम :

(रवि शिवहरे)

निवासी:- ओम प्लाजा, गुप्ता कोल डिपो के पास,

लक्ष्मीगंज रोड, लशकर ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम निशा देवी यादवानी था, जिसे सुधारकर सही नाम निशा भावनानी कर दिया गया है, जिसे सरकारी दस्तावेजों में जाना-पहचाना, पढ़ा जाए.

पुराना नाम :

(निशा देवी यादवानी)

(427-बी.)

नया नाम :

(निशा भावनानी)

डब्ल्यू.पी. 43, लेकपर्ल गार्डन,

एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, पदमजा पावशे पत्नि स्व. पदमाकर पावशे, आयु-66 वर्ष, (जन्म दिनांक 15 मई, 1951) निवासी-ए-27, प्रगति कॉम्पलेक्स, डिपो चौराहा, जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र.) की हूँ. विवाह पूर्व मेरा नाम विनय बाला पाण्डे था. अब मुझे पदमजा पावशे के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(विनय बाला पाण्डे)

(428-बी.)

नया नाम :

(पदमजा पावशे)

निवासी-ए-27, प्रगति कॉम्पलेक्स, डिपो चौराहा,

जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती ममता हिरवानी पत्नी श्री दीपक हिरवानी, आयु 43 वर्ष, निवासी म.नं. ई-5/6, इन्द्रा विहार कॉलोनी, तिलक नगर, एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म.प्र.) पूर्व मेरा नाम भारती सुखवानी था, जिसे विवाह उपरान्त बदलकर मेरा नाम श्रीमती ममता हिरवानी हो गया है. अतः अब से मुझे श्रीमती ममता हिरवानी के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(भारती सुखवानी)

(429-बी.)

नया नाम :

(ममता हिरवानी)

म.नं. ई-5/6, इन्द्रा विहार कॉलोनी, तिलक नगर,

एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Deepa Mishra (Old Name), D/o Shri Shyam Sunder Mishra permanent R/o Village-Baheri Chauban, Teh-Mauganj, Distt.-Rewa M.P. and Temporary R/o Khajanchi Bagh, Bhopal has changed my name as Mrs. Deepa Ram Bhagat Kushwaha W/o Shri Ram Bhagat Kushwaha after marriage solemnised on 22-11-2015 and ordinarily residing in Village-Nayagaon, Post-Saleha, Distt.-Panna, M.P. Pin-488333, with my husband or his family. Affidavit dated 12-08-2017 has been sworn in this regard in New Delhi. I shall be known with my new name, changed after marriage, for all purposes.

Old Name:

(DEEPA MISHRA)

D/o Shri Shyam Sunder Mishra.

(430-B.)

New Name :

(DEEPA RAM BHAGAT KUSHWAHA)

W/o Shri Ram Bhagat Kushwaha,

Village-Nayagaon, Post-Saleha,

Distt.-Panna, M.P. Pin-488333.

नाम परिवर्तन

सर्व-सूचित हो कि मेरी पुत्री का नाम सम्पदा खण्डेलवाल पुत्री संजय खण्डेलवाल लिखा है. लेकिन मेरे सारे दस्तावेजों जैसे-आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक आदि में मेरा नाम संजय गुप्ता है. दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं. इसलिए भविष्य में मेरी पुत्री का नाम स्कूल में एवं दस्तावेजों में सम्पदा खण्डेलवाल पुत्री संजय गुप्ता कर दिया जावे.

सूचनाकर्ता

संजय गुप्ता,

शिव मार्केट खासगी बाजार,

लशकर, ग्वालियर.

(431-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्वविदित है कि मैं, चंद्रपाल मीना (रावत) शपथ करता हूँ कि मेरे आधार कार्ड व मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम भवूत्या लाल मीना दर्ज है. अतः अब मैंने अपना नाम परिवर्तित कर चन्द्रपाल मीना (रावत) रख लिया है अतः अब मुझे चन्द्रपाल मीना (रावत) के नाम से ही जाना-पहचाना जाता है और आगे भी मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे. समस्त सूचित हों.

पुराना नाम :
(भवूत्या लाल मीना)
(435-बी.)

नया नाम :
(चंद्रपाल मीना रावत)
पुत्र श्री बाबूलाल मीना,
पता-326, न्यू रेशम मिल, प्रगति नगर,
अशोक ब्रेकरी के पास, बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that previously I known as Sumit Kumar Jain Change my name as Sumit Mittal. So, now in future I will be known by new name Sumit Mittal R/o 478, Stadium Ground, Nanda Nagar, Indore (M.P.).

Old Name:
(SUMIT KUMAR JAIN)
(434-B.)

New Name :
(SUMIT MITTAL)
Address—487, Stadium Ground,
Nanda Nagar, Indore.

जाहिर सूचना

मेसर्स शर्मा कान्ट्रेक्टर्स नलखेड़ा, जिला आगर द्वारा फर्म की रचना में परिवर्तन की सूचना एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त फर्म पंजीयन क्रं. 858/91-92, दिनांक 19-11-1991 से चली आ रही है उक्त फर्म के भागीदार.—

- (1) श्री घनश्याम आत्मज हनुमान प्रसाद शर्मा, निवासी नलखेड़ा.
- (2) श्री पवन कुमार कुल्मी आत्मज नेमीचन्द कुल्मी, निवासी नलखेड़ा स्वेच्छा में पृथक् हो गये हैं व नये भागीदार श्री प्रिंस शर्मा आत्मज ओम प्रकाश शर्मा, निवासी नलखेड़ा को शामिल किया गया है. 22-08-2017 के बाद शेष चार भागीदार हैं.—
- (1) कैलाशचन्द्र आत्मज रामगोपाल जी शर्मा
- (2) ओमप्रकाश रामगोपाल शर्मा
- (3) पीयूष कुमार कैलाशचन्द्र शर्मा
- (4) प्रिंस शर्मा आत्मज ओम प्रकाश शर्मा वर्तमान में भागीदार हैं.

(421-बी.) मे. शर्मा कान्ट्रेक्टर्स,
कैलाशचन्द्र शर्मा,
(भागीदार)
70, हनुमान मंडी नलखेड़ा,
जिला आगर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सिद्धेश्वर कंसट्रक्शन क्र. पंचशील नगर, दतिया की पार्टनरशिप डीड में 1. राघवेन्द्रसिंह यादव पुत्र श्री रामसेवक सिंह यादव, 2. जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री ठाकुरदास सिंह, 3. मुकेश शर्मा पुत्र श्री घनश्याम शर्मा तीन भागीदार थे. इसमें से राघवेन्द्रसिंह यादव जितेन्द्रसिंह दिनांक 04-02-2017 को अपने निजि कारण एवं स्वेच्छा से फर्म से हट गये इन दोनों लोगों का हिसाब चुकता कर दिया इनका अब इस फर्म से कोई लेना-देना नहीं है मुकेश शर्मा के साथ अब नये पार्टनर के रूप में विपेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह फर्म में शामिल हुए हैं.

इसमें से अगर किसी को कोई आपत्ति हो, तो फर्म संस्था में नियत तिथि तक अपील दर्ज करा सकते हैं.

(422-बी.) शशि कुमार तिवारी,
(एडवोकेट)
बुन्देला कॉलोनी, दतिया.

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स आदर्श कंस्ट्रक्शन कंपनी, पंचमुखी हनुमान मंदिर, जौरा, जिला मुरैना जिसका पंजीयन क्रमांक 02/44/03/00175/10, दिनांक 27-10-2010 है जिसमें दिनांक 30-08-2017 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 3 श्री राजीव शर्मा पुत्र श्री गोपीराम शर्मा, आयु 27 वर्ष, निवासी बिलगांव परगना, जौरा, जिला मुरैना जोकि फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं इनका इस फर्म से किसी भी प्रकार का कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा उनके स्थान पर श्री आदर्श शर्मा पुत्र श्री विनोद शर्मा, आयु 20 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 12 पुराना जौरा, जिला मुरैना जो कि नवीन साझेदार के रूप में शामिल हो गये हैं तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है।

M/s Adarsh Construction Company,

विनोद शर्मा,

(पार्टनर).

(432-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स अम्बिका स्टोन इण्डस्ट्रीज, सेकण्ड फ्लोर, गणेश कॉम्प्लेक्स, चेतकपुरी, झांसी रोड, ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00029/12, दिनांक 03-05-2012 है जिसमें दिनांक 31-08-2017 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 1 श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री राम अवतार शर्मा, आयु 53 वर्ष, निवासी-72, लाइन नं. 3, बिरला नगर, ग्वालियर जोकि फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं इनका इस फर्म से किसी भी प्रकार का कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है। भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है।

मैसर्स अम्बिका स्टोन इण्डस्ट्रीज,

भूषण सूरी,

(पार्टनर).

(433-बी.)

विविध**न्यायालयों की सूचनाएं**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर, जिला बड़वानी

रा.प्र.क्र. 6-बी-113/2016-17.

फार्म नं.-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5(1) के अन्तर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर के समक्ष

आवेदक जगदीश अशोक गनवानी, निवासी राजपुर, तहसील राजपुर अध्यक्ष, श्री हटिले हनुमान मंदिर ट्रस्ट, राजपुर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत श्री हटिले हनुमान मंदिर ट्रस्ट, राजपुर के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे समक्ष एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1528)

ऋजु बाफना,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

प्र.क्र. /बी/113-2005-06.

प्रारूप-तृतीय

(नियम पाँच-1 देखिये)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि

आवेदक श्री चंद्रकांत पिता भव्वादास बोरसे अध्यक्ष द्वारा श्री सोमवंशी आर्य क्षत्रिय (लोहार) समाज ट्रस्ट बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है। एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 24 जुलाई, 2017 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

1. श्री सोमवंशी आर्य क्षत्रिय (लोहार) समाज ट्रस्ट, बुरहानपुर, तहसील एवं जिला बुरहानपुर.
2. चल सम्पत्ति : 77989/- देना बैंक बुरहानपुर में.
3. अचल सम्पत्ति : ब्लाक नंबर 39, प्लॉट नंबर 59, रकवा 23605 वर्गफिट एवं ब्लाक नंबर 59, प्लॉट नंबर 60 रकवा 1833 वर्गफिट.

जारी दिनांक 03 अगस्त, 2017

मोहन कनाश,
पंजीयक.

(1529)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट उपखण्ड जावरा, रतलाम

जावरा, दिनांक 05 सितम्बर, 2017

फार्म-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) के तहत]

क्र./4079/आर-1/17.—आवेदक श्री 1. बाबुलाल पिता सागरमल नाहर, निवासी गांधी कॉलोनी जावरा, 2. कैलाश नाहर पिता राजमल नाहर, निवासी बजाजखाना जावरा द्वारा धारा-4(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट विधान के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसकी सुनवाई दिनांक 20-09-2017 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर दोपहर 02.30 बजे की जावेगी।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो प्रकरण में नियत दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा अपने एजेन्ट के द्वारा नियत समय पर उपस्थित हों। निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण

1. न्यास का पूरा नाम : म.प्र. नाहर परिवार संघ जावरा, जिला रतलाम मध्यप्रदेश.
2. चल सम्पत्ति का विवरण : दोनों ट्रस्टियों से प्राप्त रुपये 1001/- मात्र.
3. ट्रस्ट का मुख्यालय : 96, पार्श्वनाथ स्टेट, चौपाटी जावरा, जिला रतलाम मध्यप्रदेश.

शारोली जैन,
अनुविभागीय अधिकारी.

(1536)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

कामधेनु बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 109, दिनांक 03 अक्टूबर, 2008 आदेश क्रमांक 1673, दिनांक 23 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना था.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1673, दिनांक 23 जुलाई, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत कामधेनु बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर, पंजीयन क्रमांक 109, दिनांक 03 अक्टूबर, 2008 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1524-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पासलोद, जिसका पंजीयन क्रमांक 2074, दिनांक 25 मई, 2015 आदेश क्रमांक 3561, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री हेमलता चन्देल को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./3561, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पासलोद, पंजीयन क्रमांक 2074, दिनांक 25 मई, 2015 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री हेमलता चन्देल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1524-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

किसान विकास बीज सहकारी संस्था मर्या., गोन्सा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2183, दिनांक 20 अगस्त, 2015 आदेश क्रमांक 3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री बी. एल. बागोरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत किसान विकास बीज सहकारी संस्था मर्या., गोन्सा, पंजीयन क्रमांक 3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री बी. एल. बागोरा, को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1524-C)

उज्जैन, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2939.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 479, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मडावदा, तहसील खाचरौद, जिसका पंजीयन क्रमांक 692, दिनांक 08 जनवरी, 1985 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1524-D)

उज्जैन, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2940.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा माँ चामुण्डा फल, साग-सब्जी विपणन एवं प्रक्रिया नागदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1501, दिनांक 27 मार्च, 1999 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती हेमलता चन्देल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1524-E)

उज्जैन, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2942.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा ईशान फल, साग-सब्जी विपणन प्रक्रिया जैथल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1560, दिनांक 09 जुलाई, 2013 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती हेमलता चन्देल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1524-F)

उज्जैन, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2943.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 477, दिनांक 27 मार्च, 2016 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घट्टिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 543, दिनांक 11 मई, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक.

(1524-G)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

मण्डला, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./सपंम/परि./2017/1002.—आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., मटियारी सिमरिया, पंजीयन क्रमांक 665, दिनांक 29 जून, 1994, विकासखण्ड बिछिया को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परिसमापन/2014/2472, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम./परिसमापन/2015/1549, मण्डला, दिनांक 25 अगस्त, 2015 के द्वारा श्री नितेन्द्र तेकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिछिया को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 11 जुलाई, 2017 का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में पाया गया कि संस्था के सदस्यों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है.

अतः मैं, आलोक दुबे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञापित क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., मटियारी सिमरिया का परिसमापन आदेश क्रमांक/सपंम/परिसमापन/2014/2472, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 को निरस्त करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक श्री नितेन्द्र तेकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आलोक दुबे,
सहायक रजिस्ट्रार.

(1523)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नारियाखेडा	571/06-05-1985	1518/03-09-2015

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

व्ही. एस. राजावत,
परिसमापक.

(1530)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 15 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1528.—नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कानाखेड़ा, तहसील बड़ौद, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 1011, दिनांक 09 नवम्बर, 2009 को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/922, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं है।

अतः मैं, सुश्री श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कानाखेड़ा, तहसील बड़ौद, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 1011, दिनांक 09 नवम्बर, 2009 का पंजीयन निरस्त करती हूँ उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 15 सितम्बर, 2017 से नियमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 15 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

श्वेता रावत,
प्रभारी उप-पंजीयक.

(1531)

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी समिति मर्या., परसापानी.

क्र./परि./2017/2279.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि प्राथ. लघु वनोपज सहकारी समिति मर्या., परसापानी के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था की सदस्यता सूची को अंतिम रूप देने के लिए श्री डी. पी. पाल, उप-अंके. को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था। संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया है कि संस्था द्वारा

निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाया जावे. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है.
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा. कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है. संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.
(1532)

होशंगाबाद, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी समिति मर्या., वागड़ा.

क्र./परि./2017/2280.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी समिति मर्या., वागड़ा के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था की सदस्यता सूची को अंतिम रूप देने के लिए श्री डी. पी. पाल, उप-अंके. को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था. संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाया जावे. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है.
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा. कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है. संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.
(1532-A)

होशंगाबाद, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

माता महाकाली उपभोक्ता सहकारी भण्डार इटारसी.

प. क्र. 2446.

क्र./परि./2017/2281.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि माता महाकाली उपभोक्ता सहकारी भण्डार, इटारसी के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था की सदस्यता सूची को अंतिम रूप देने के लिए श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था. संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक.....के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाया जावे. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है.
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा. कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है. संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.
(1532-B)

होशंगाबाद, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

नर्मदा जैविक खाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., पलिया पिपरिया.

क्र./परि./2017/2282.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि नर्मदा जैविक खाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., पलिया पिपरिया के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था की सदस्यता सूची को अंतिम रूप देने के लिए श्री एस. डी. परतेती, उप-अंके. को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था. संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 23 अगस्त, 2017 के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाया जावे. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा अकार्यशील है।
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है।
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है। अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा। कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है। संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।
(1532-C)

होशंगाबाद, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

कुबेर साख सहकारी समिति मर्या., बीजनवाड़ा, पिपरिया.

क्र./परि./2017/2283.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि कुबेर साख सहकारी समिति मर्या., बीजनवाड़ा, पिपरिया के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था की सदस्यता सूची को अंतिम रूप देने के लिए श्री डी. पी. पाल, उप-अंके. को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था। संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाया जावे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है।
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा अकार्यशील है।
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है।
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है। अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा। कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है। संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।
(1532-D)

होशंगाबाद, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडरखा.

क्र./परि./2017/2284.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडरखा के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था की सदस्यता सूची को अंतिम रूप देने के लिए श्री डी. पी. पाल, उप-अंके. को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था. संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाया जावे. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है.
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा. कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है. संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.
(1532-E)

होशंगाबाद, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

बलराम प्राथ. साख सहकारी समिति मर्या., बंडौल

प. क्र. 3050.

क्र./परि./2017/2285.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बलराम प्राथ. साख सहकारी समिति मर्या., बंडौल के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था की सदस्यता सूची को अंतिम रूप देने के लिए श्री डी. पी. पाल, उप-अंके. को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था. संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 17 अगस्त, 2017 के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाया जावे. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा अकार्यशील है।
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है।
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है। अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा। कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है। संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।
(1532-F)

होशंगाबाद, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

सीमांत बीज उत्पादक सहकारी समिति, पासलपुर.

पं. क्र. 3108.

क्र./परि./2017/2286.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि सीमांत बीज उत्पादक सहकारी समिति, पासलपुर के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था की सदस्यता सूची को अंतिम रूप देने के लिए श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था। संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक.....के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाया जावे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है।
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा अकार्यशील है।
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है।
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है। अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा। कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है। संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।
(1532-G)

होशंगाबाद, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गाड़रिया.

पं. क्र. 3228, दिनांक 17 जून, 2017.

क्र./परि./2017/2287.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गाड़रिया के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था की सदस्यता सूची को अंतिम रूप देने के लिए श्री डी. पी. पाल, उप-अंके. को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था. संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 17 अगस्त, 2017 के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाया जावे. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है.
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा. कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है. संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अखिलेश कुमार निगम,

डिप्टी रजिस्ट्रार.

(1532-H)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

राजगढ़, दिनांक 15 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2014.—लक्की मछुआ सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़, विकासखण्ड राजगढ़, जिला राजगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 596, दिनांक 24 सितम्बर, 1993 है, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2017/527, राजगढ़, दिनांक 02 मार्च, 2017 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है, परिसमापक श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, राजगढ़ द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर, संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्की मछुआ सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़, विकासखण्ड राजगढ़, जिला राजगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 596, दिनांक 24 सितम्बर, 1993 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1533)

राजगढ़, दिनांक 15 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2015.—संदेश सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बोड़ा, विकासखण्ड नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 923, दिनांक 24 मार्च, 2004 है, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2017/549, राजगढ़, दिनांक 02 मार्च, 2017 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है, परिसमापक श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, राजगढ़ द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर, संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशांसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संदेश सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बोड़ा, विकासखण्ड नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 923, दिनांक 24 मार्च, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1533-A)

राजगढ़, दिनांक 15 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2016.—महाकाल मछुआ सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर, विकासखण्ड जीरापुर, जिला राजगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 692, दिनांक 23 अप्रैल, 2001 है, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2017/531, राजगढ़, दिनांक 02 मार्च, 2017 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है, परिसमापक श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, राजगढ़ द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर, संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशांसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाकाल मछुआ सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर, विकासखण्ड जीरापुर, जिला राजगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 692, दिनांक 23 अप्रैल, 2001 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1533-B)

राजगढ़, दिनांक 15 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2017.—राजीव गांधी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., जीरापुर, विकासखण्ड जीरापुर, जिला राजगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 610, दिनांक 20 अक्टूबर, 1995 है, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2017/550, राजगढ़, दिनांक 02 मार्च, 2017 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है, परिसमापक श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, राजगढ़ द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर, संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशांसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., जीरापुर, विकासखण्ड जीरापुर, जिला राजगढ़, जिसका

पंजीयन क्रमांक 610, दिनांक 20 अक्टूबर, 1995 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1533-C)

राजगढ़, दिनांक 15 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2018.—भारतीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., पाडल्यामाताजी, विकासखण्ड सारंगपुर, जिला राजगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 849, दिनांक 21 मार्च, 2003 है, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2017/537, राजगढ़, दिनांक 02 मार्च, 2017 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है, परिसमापक श्री आर. व्ही. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, राजगढ़ द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर, संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., पाडल्यामाताजी, विकासखण्ड सारंगपुर, जिला राजगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 849, दिनांक 21 मार्च, 2003 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

आर. एस. गौर,

उप-रजिस्ट्रार.

(1533-D)

कार्यालय परिसमापक, सागर दुग्ध संघ सहकारी मर्यादित, सागर

सागर, दिनांक 13 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर संभाग, सागर के आदेश क्रमांक 2396/विधि/परि./99, सागर, दिनांक 24 दिसम्बर, 1999 से सागर दुग्ध संघ सहकारी मर्या., सागर को परिसमापन में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री दिनेश कुमार राय, महाप्रबंधक एवं संयुक्त संचालक, एम. पी. सी. डी. एफ., सागर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. इसके पश्चात् पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेश क्रमांक 1295, दिनांक 15 जुलाई, 2004 के द्वारा उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापक दिनांक से सागर दुग्ध संघ सहकारी मर्या., सागर की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत सागर दुग्ध संघ सहकारी मर्या., सागर के विरुद्ध दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा सागर दुग्ध संघ सहकारी मर्या., सागर की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि सागर दुग्ध संघ सहकारी मर्या., सागर के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी।

यदि सागर दुग्ध संघ सहकारी मर्या., सागर के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 13 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

पी. आर. कावड़कर,

उप-पंजीयक.

(1534)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर, 2017-आश्विन 14, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**-राज्य में प्रायः इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के जबलपुर जिले को छोड़कर राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील सिहोरा (जबलपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**- जिला ग्वालियर, दमोह व जबलपुर में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**- जिला ग्वालियर, दमोह व जबलपुर में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति-** . .

5. **कटाई.**- जिला आगर में फसल गेहूँ, चना, गुना में सरसों, चना, गेहूँ व पन्ना, दमोह, अनूपपुर, सीधी, खरगौन, राजगढ़, भोपाल व कटनी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल, नीमच, बड़वानी व रायसेन में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुथरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. श्योपुर	..		4. (1) गन्ना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	..				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. ग्वालियर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सेवड़ा	..		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	..				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछौर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) उडुद, मक्का, गेहूँ, चना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..		(2) ..		
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. सरसों, चना, गेहूँ की	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, धनिया, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		सरसों.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..		(2) ..		
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बक्सवाहा	..				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..	की कटाई का कार्य	4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुभर,	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. पन्ना	..	चालू है.	उडुद, मूँग, सोयाबीन, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..		गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी		
4. पवई	..		मसूर, मटर, आलू, प्याज.		
5. शाहनगर	..		(2) ..		
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..		आलू, प्याज.		
4. सागर	..		(2) ..		
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँग, उड़द सुधरी हुई (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर अधिक. मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलियान	..				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, जौ अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, तुअर, चना, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4 (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्या	..		4.(1) गेहूँ चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुंधड़क्का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4 (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..				
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4 (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलोदा	..				
6. रतलाम	..				
24. *जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खाचरौद	..		4 (1) ..	6. ..	8. ..
2. महिदपुर	..		(2) ..		
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..		4 (1) गेहूँ, चना, रायड़ा समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	..		4 (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मटर, चना अधिक. कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. खातेगांव	..				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मक्का अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मूँगफली अधिक. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोंडवा	..				
5. च. शे. आ. नगर	..				
6. उदयगढ़	..				
30. *जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	..				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, तुवर, चना अधिक. ज्वार, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, गेहूँ, अलसी, राई-सरसों कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
34. *जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .		
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .		
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	अप्राप्त		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .		
3. इच्छावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1)चना, तिवड़ा, मसूर, मटर, अलसी, राई-सरसों, मूँग अधिक. गेहूँ, धनिया कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. भैंसदेही	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	0.3		4. (1) गेहूँ उड़द अधिक. मूँग कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	..				
4. मझोली	..				
5. कुण्डम	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. *जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) गेहूँ चना, मटर, मसूर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	..				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	..		4. (1) मक्का, धान अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	..		(2) ..		
4. तामिया	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. चांद			
10. बिछुआ	..				
11. हरई	..				
12. उमरेठ	..				
13. बोलखेड़ा	..				
50. *जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सिवनी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. केवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादोन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसोर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खैरलाँजी	..				
4. बैहर	..				
5. लालबर्वा	..				
6. वारासिवनी	..				
7. बिरसा	..				
8. कटंगी	..				
9. परसवाड़ा	..				
10. किरनापुर	..				

टीप.-*जिला रतलाम, उज्जैन, धार, खण्डवा, बैतूल, नरसिंहपुर व सिवनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1527)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.